



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2011/ज्येष्ठ 27, 1933

No. 318]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2011/JYAISTHA 27, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2011

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और

सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2011

सा.का.नि. 458(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35(ज) के साथ पठित धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम अधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होंगे (बाध्यस्रोत आधार पर या अल्प कालिक संविदा आधार पर या एकमुस्त वेतन के आधार पर लिए गए कार्मिकों के सिवाय)।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) अभिप्रेत है ;

(ख) “अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी” से इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए कार्मिक अभिप्रेत है ;

(ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(घ) “अधिकरण” से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अभिप्रेत है ;

(क) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

4. नियुक्ति प्राधिकारी - अधिकरण का अध्यक्ष अधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

5. अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती - विभिन्न पदों पर भर्ती इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के पदों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए किया जाएगा।

6. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

7. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

8. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का आमेलन - (1) इन नियमों के उपबंधों में किसी बात के होते हुए, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त व्यक्ति (तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर नहीं) और जो सीधी भर्ती के लिए इन नियमों में अधिकश्रित अर्हताएं और अनुभव को पूरा करते हैं वो आमेलन के लिए पात्र होंगे, उन शर्तों के अधीन रहते हुए कि उक्त पद की नियुक्ति के लिए विद्यमान सीधी भर्ती के लिए उपबंध और इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविहित पद के लिए सीधी भर्ती के लिए अधिकश्रित प्रक्रिया निम्नलिखित के पश्चात् की जाएगी।

(2) ऐसे आमेलन में शर्त के अधीन होंगे कि आमेलन के लिए उनके विकल्प प्रतिनियुक्ति करते समय प्रयोग किए जाएंगे और उनके मूल विभाग/कांडर नियंत्रण प्राधिकारी अधिकरण में उनको आमेलन किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

9. सीधी भर्ती की प्रक्रिया - इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में जहाँ कहीं विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी -

(1) अधिकरण अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) उपनियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदन की पात्रता के लिए छानबीन अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा की जाएगी।

(3) यदि अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो चयन समिति खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया के आधार पर चयन किसी वृत्तिक अभिकरण के माध्यम द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की सिफारिश कर सकेगी।

(4) भर्ती चयन समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे -

(क) अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष

(ख) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य

(ग) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उनका नामनिर्देशित - सदस्य

(घ) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य

10. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया - इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी -

(1) अधिकरण अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन की पात्रता के लिए छानबीन अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा की जाएगी।

(3) चयन के लिए साक्षात्कार, ऐसी समिति द्वारा संचालित होंगे जो अधिकरण का अध्यक्ष, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से विनिर्दिष्ट करे।

11. **प्रतिनियुक्ति की अवधि :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3 वर्ष के पश्चात्, प्रतिनियुक्ति की अवधि को सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन से 4 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और पर्यावरण और वन मंत्री के अनुमोदन से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है; परंतु प्रत्येक विस्तार अधिकरण के अध्यक्ष की पूर्व सहमति से होगा। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेश अधिकरण में प्रतिनियुक्त पर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारीवृद्ध पर लागू होंगे।

12. **अनुशासनात्मक कार्यवाही :-** अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध लापरवाही अनुशासनात्मक कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की जाएगी, केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान के, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐसे नियमों और विनियमों के रूप में लागू होगी।

13. **सेवा की शर्तें :-** अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य-निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ, चिकित्सा सुविधा और अन्य सेवा की शर्तों के मामलों में उन स्थानों पर आस्थित केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित सहित लागू होगी।

14. **निरहंता :-** वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

15. **वास सुविधा :-** अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी मकान किराया भत्ता के पात्र होंगे उन स्थानों पर आस्थित केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी।

16. **व्यापृति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

17. **सेवा की अन्य शर्तें :-** अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें, वेतन, विनिर्दिष्ट उपबंधों को उपलब्ध नहीं कर दिया गया है के लिए, समय-समय पर ऐसे नियमों को विनियमित किया जाएगा, उन स्थानों पर आस्थित केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या प्रथम पद है या अद्ययन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. रजिस्ट्रार	*1 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-4, 37,400 - 67,000 रु (ग्रेड वेतन 8700)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की बरा में लागू होंगी या नहीं।	परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की बरा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखते हैं ऐसे अधिकारी जिन्होंने (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सक्षम पद धारण किए हों, या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-3, (15600 -39100 रु) ग्रेड वेतन 7600 रु के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, या (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-3, (15600 -39100 रु) ग्रेड वेतन 6600 रु के पद पर ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - सदस्य (iii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (iv) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप रजिस्ट्रार	*4 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 रु (ग्रेड वेतन 7600)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 % प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखते हैं ऐसे अधिकारी और जिन्होंने (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-3, (15600 -39100 ₹0) ग्रेड वेतन 6600₹0 के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - सदस्य iii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iv) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक रजिस्ट्रार	*5 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 ₹0 (ग्रेड वेतन 6600)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i) 40% प्रतिनियुक्ति द्वारा ii) 60% पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता-सह-ज्येष्ठता (लिखित और मौखिक परीक्षा) के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>प्रतिनियुक्ति :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखते है ऐसे अधिकारी और जिन्होंने</p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु (ग्रेड वेतन 5400रु) के पद पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रोन्नति की दशा में - राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वेतन बैंड-2, (9300-34800 रु) ग्रेड वेतन 4800रु के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा करने वाले ऐसे अधिकारी जिनके पास</p> <p>i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में डिग्री हो;</p> <p>ii) कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (यदि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष</p> <p>ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - सदस्य</p> <p>iii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य</p> <p>iv) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या सचन पद है या अचन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. अनुभाग अधिकारी	*6 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 ₹ (ग्रेड वेतन 4800 ₹)	अचन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)
लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा चरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता-सह-ज्येष्ठता (लिखित और मौखिक परीक्षा) के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)
<p>प्रतिनियुक्ति की दशा में :- ऐसे अधिकारी जिन्होंने</p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-2, (9300 -34800 ₹) ग्रेड वेतन 4200 ₹ के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा किया हो।</p> <p>आवश्यक - कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी।</p> <p>प्रोन्नति की दशा में - राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वेतन बैंड-2, (9300 -34800 ₹) ग्रेड वेतन 4200 ₹ के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा करने वाले सहायक।</p>



यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अद्ययन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक	*12 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 ₹ (ग्रेड वेतन 4200₹)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
21-30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	i) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में डिग्री (नियमित पाठ्यक्रम) हो। ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया हो। iii) वांछनीय - एक विषय के रूप में पर्यावरणीय शिक्षा/विज्ञान के साथ डिग्री रखने वाले प्रत्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ; या पर्यावरण के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखता हो।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति की दशा में :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में रखते हे ऐसे अधिकारी जिन्होंने (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सद्गुण पद धारण किए हों, या (ख) वेतन बैंड-1, 5200 -20200 रु (ग्रेड वेतन 2800रु) में छह वर्ष नियमित सेवा। (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय/ अधिकरण में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु (ग्रेड वेतन 2400) में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। आवश्यक- कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. प्रधान निजी सचिव	*I (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 ₹ (ग्रेड वेतन 6600)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता-सह-ज्येष्ठता (लिखित और मौखिक परीक्षा) के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति की दशा में :- अ. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखते हैं ऐसे अधिकारी और जिन्होंने (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 ₹ (ग्रेड वेतन 4800) के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो। आ. आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो। इ. आवश्यक - कंप्यूटर प्रचालन का कार्य साधक ज्ञान। वांछनीय - किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

प्रोन्नति की दस्ता में - राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन बैंड-2, (9300 -34800 रु) ग्रेड वेतन 4800 रु के पद पर छह वर्ष की नियमित की हो ।

आवश्यक -

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में डिग्री रखता हो ।

ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - सदस्य iii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iv) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अवयव पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. निजी सचिव	*21 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु (ग्रेड वेतन 4800)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवर्तना की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा। ii) 50% पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता-सह-ज्येष्ठता (लिखित और मौखिक परीक्षा) के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में से श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>प्रतिनियुक्ति की दशा में :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने</p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-2, (9300 -34800 ₹0) ग्रेड वेतन 4600₹0 [6500-200-10500 ₹0 पुनर्संक्षिप्त] की श्रेणी में कोर्ट मास्टर/आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के पद पर कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में 100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि में और 40 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) टंकण में गति रखता हो।</p> <p>आवश्यक - किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।</p> <p>वांछनीय - विधि में डिग्री।</p> <p>प्रोन्नति की दशा में -</p> <p>(i) वेतन बैंड-2, (9300 -34800 ₹0) ग्रेड वेतन 4600₹0 की श्रेणी के उन आशुलिपिक श्रेणी 'ग'/अधिकरण मास्टर में से जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।</p> <p>वांछनीय - विधि में डिग्री।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष</p>	लागू नहीं होता

ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	
iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य	
iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	

पद का नाम	पद की संख्या	बर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या दायन पद है या अदायन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. वैयक्तिक सहायक (आधुनिक श्रेणी-ग/कोर्ट मास्टर)	*21 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 8300 - 34800 रु (ग्रेड वेतन 4200)	दायन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
21-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में डिग्री हो।  2) कौशल परीक्षा संनियम - श्रुतलेखन - 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट प्रतिलिप्यांतरण - 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैन्युल टाइपसइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)  3) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आनेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधी भर्ती के लिए	i) 50 % सीधी भर्ती द्वारा।

	2 वर्ष	ii) 50% पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
--	--------	---

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
(11)	
प्रतिनियुक्ति की दशा में :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने	
(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या	
(ख) वेतन बैंड-1, 5200 -20200 रु0 (ग्रेड वेतन 2400रु0) में दस वर्ष नियमित सेवा के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय/ अधिकरण में आशुलिपिक श्रेणी 'घ' या समतुल्य पद धारण किया हो ।	
आवश्यक- किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।	
आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो, कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी ।	
प्रोन्नति की दशा में - वेतन बैंड-1, 5200 -20200 रु0 (ग्रेड वेतन 2400) की श्रेणी के उन आशुलिपिक श्रेणी 'घ' में से जिन्होंने राष्ट्रीय हस्त अधिकरण में कम से कम दस वर्ष नियमित सेवा की हो ।	
आवश्यक - किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।	
आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो, कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	
iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य	
iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. आशुलिपिक श्रेणी-‘घ’	*12 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु (ग्रेड वेतन 2400)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
21-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक। 2) कौशल परीक्षा संनिघम - भुतलेखन - 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट प्रतिलिप्यांतरण - 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (मैन्यूल टाईपराइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर) 3) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दृष्टि में लागू होंगी या नहीं।	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।



प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति की दशा में :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखते हैं ऐसे अधिकारी जिनमें (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति समूह 'ख' और समूह 'ग' (पुष्टि के लिए) में निम्नलिखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद है या अवचन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. हिन्दी अधिकारी	*1 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु (ग्रेड वेतन 5400)	अवचन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सौधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दसा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सौधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 % प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दसा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति : (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदस्य पद धारण करने वाले व्यक्ति, या (ii) केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में वेतन बैंड-2, (9300 -34800 ₹0) ग्रेड वेतन 4800₹0 के पद पर क्रमिक श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा करने वाला व्यक्ति। प्रोन्नति :- राष्ट्रीय हस्त अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300 -34800 ₹0 (ग्रेड वेतन 4200₹0) में कार्य करने वाले हिन्दी अनुवादक के पद पर 8 वर्ष नियमित सेवा का अनुभव रखने वाला अधिकारी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	दगीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या असचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. हिन्दी अनुवादक	*5 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु (ग्रेड वेतन 4200 रु)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
23-32 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होती है।	1) न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। 2. हिन्दी से अंग्रेजी में और विपरीत अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित भारत सरकार या राज्य सरकार जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी सम्मिलित हैं में हिन्दी से अंग्रेजी में और विपरीत अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचोला की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेजन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेजन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेजन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति सम्पत्ति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (युनि. के. वि. प्र.) जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं : i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या खाली पद है या अख्यत पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. लेखा अधिकारी	*1 (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु (ग्रेड वेतन 5400)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिदोष की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसको न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आयुक्तन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आयुक्तन किया जाएगा	
(11)	
प्रतिनियुक्ति :- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने	
(i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सक्षम पद धारण किए हों, या	
(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय/ अधिकरण में क्रमिक श्रेणी में वेतन बैंड-2, 9300 -34800 रु (ग्रेड वेतन 4800 रु) के पद पर 8 वर्ष नियमित सेवा करने वाले अधिकारी ।	
वांछनीय - (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के संगठित लेखा विभाग के किसी द्वारा संचालित एसएसएस या कोई समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो;	
(ii) आईएसटीएम या समतुल्य से चेकड और लेखा कार्य में सफलता पूर्वक परीक्षण पूर्ण किया हो और चेकड, लेखा और बजट कार्य का अनुभव ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष	
ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	
iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य	
iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. लेखाकार	5 * (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु (ग्रेड वेतन 2400रु)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
21-30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक। वांछनीय - सीए माध्यमिक

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिशीला की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री धारक ऐसे अधिकारी जिन्होंने (i) (क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय/अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय/ अधिकरण में वेतन बैंड-1, (5200 -20200 रु) ग्रेड वेतन 1900रु के पद पर 8 वर्ष नियमित सेवा की हो। आवश्यक- कंप्यूटर प्रचालन का कार्यसाधक ज्ञान। वांछनीय- किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	बतौ करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य iii) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य iv) अधिकरण का सचिव - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी]

डॉ. रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2011

## The National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011

G.S.R. 458 (E).—In exercise of powers conferred by Section 12 and Section 13 read with Section 35(h) of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official Gazette of India.

2. **Application.**— These rules shall apply to all the officers and employees of the Tribunal (except personnel hired on outsourced basis or short term contract basis or on lump-sum salary basis.)

3. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010);

- (b) “officers and employees of the Tribunal” means the personnel recruited under these rules;
- (c) “section” means a section of the Act;
- (d) “Tribunal” means the National Green Tribunal constituted under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010) ;
- (d) The words and expression used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**4. Appointing Authority** - The Chairperson of the Tribunal shall be the appointing authority of all the officers and employees of the Tribunal.

**5. Recruitment of Officers and Employees**- The recruitment to various posts shall be made for different categories of officers and employees as per the entries in the Schedule annexed to these rules.

**6. Number of Posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto are given in the columns 2 to 4 in the Schedule annexed to these rules.

**7. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the columns 5 to 13 in the Schedule annexed to these rules.

**8. Absorption of employees on appointment on deputation.**—(1)Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons appointed on deputation basis ( not on ad hoc deputation basis) and who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules for direct recruits, shall be eligible for absorption, subject to the condition that provision for direct recruitment exists for appointment to the said post and after following the procedure laid down for direct recruitment for the post as prescribed in the Schedule annexed to these rules.

(2) Such absorption shall also be subject to the condition that the deputationists exercise their option for absorption and their parent Departments/cadre controlling authorities do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal.



**9. Procedure for Direct Recruitment-** The following procedure shall be followed for making direct recruitment to posts wherever prescribed in the schedule annexed to these rules:

- (1) The Tribunal shall invite applications for the posts through an advertisement on all India basis.
- (2) The applications received under sub-rule (2) shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson.
- (3) If the number of applications received is large, then the Selection Committee may recommend a preliminary examination to be got conducted through a professional agency selected on the basis of an open competitive process.
- (4) The recruitment shall be done by a Selection Committee comprising of:
  - (a) Chairperson or a Judicial Member nominated by the Chairperson of the Tribunal – Chairman
  - (b) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member
  - (c) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee – Member
  - (d) Registrar of the Tribunal – Member

**10. Procedure for appointment on Deputation-** The following procedure shall be followed for making appointment on deputation to posts wherever prescribed in the schedule annexed to these rules:

- (1) The Tribunal shall invite applications for the posts through an advertisement on all India basis.
- (2) The applications received under sub-rule (1) shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson.
- (3) Interviews shall be conducted for selection by such committee as specified by the Chairperson of the Tribunal in consultation with the Secretary, Ministry of Environment and Forests

**11. Period of Deputation-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall be 3 years from the date of beginning of the deputation. Beyond 3 years, the period of deputation may be extended upto 4<sup>th</sup> year with the approval of the Secretary, Ministry of Environment and Forests and upto 5<sup>th</sup> year with the approval of the Minister for

Environment and Forests; provided that every extension shall have prior concurrence of the Chairperson of the Tribunal. The deputationist should not have attained the age of 56 years on the last date of receipt of applications. The instructions on deputation issued by Department of Personnel and Training shall be applicable to officers and staff serving on deputation basis in the Tribunal.

**12. Disciplinary Proceedings-** The modalities of disciplinary proceedings against the officers and other employees of the Tribunal shall be notified by the Chairperson as per such rules and regulations as applicable to officers and employees belonging to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government.

**13. Conditions of service.**— The conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal in matters of pay, Allowances, Leave, Provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees belonging to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government stationed at those places.

**14. Disqualification.** – No Person, -

- i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

**15. Accommodation.**— The officers and employees of the Tribunal shall be eligible for House Rent Allowance as admissible to officers and employees belonging to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government stationed at those places.

**16. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**17. Other conditions of service.** – Other conditions of service of the officers and employees of the Tribunal, for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to officers and employees belonging to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government stationed at those places.

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Deputy Registrar	*4(2011)	Not Applicable	PB-3; Rs. 15600-39100 (GP-7600)	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by deputation.	Deputation:-Officers possessing Degree in Law from a recognised University and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/ Courts/Tribunals, or (b) post in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with five years regular service in PB-3 (Rs. 15600-39100), GP-Rs. 6600.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: i) Chairperson of the Tribunal - Chairman ii) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iv) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee-Member	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Assistant Registrar	*5(2011)	Not Applicable	PB-3 Rs. 15600-39100 (GP 6600)	Selection post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
i) 40% by deputation ii) 60% by promotion on the basis of 'merit cum seniority' (written test and interview) of eligible candidates failing which by deputation.	Deputation: Officers possessing a degree in law from recognised university and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/ Courts/Tribunals, or (b) post in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with five years regular service in the PB-2 of Rs. 9300-34800(GP-5400)  In case of promotion: Officials with 6 years of regular service in PB-2 (Rs. 9300-34800), GP-4800 in National Green Tribunal having i) Degree in Law with a minimum 55% marks from a recognised University ii) Working knowledge of Computer.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal - Chairman ii) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iv) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Section Officer	*6(2011)	Not Applicable	PB-2 Rs. 9300-34800 (GP-4800)	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12
100% by promotion on the basis of 'merit cum seniority' (written test and interview) of eligible candidates failing which by deputation.	In case of deputation:- Officers holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/Courts/Tribunals, or (b) post in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with six years regular service in the PB-2 (Rs. 9300-34800), GP-4200 Essential – Knowledge in Computer operation.  In case of promotion:- Assistant with 6 years regular service in PB-2 (Rs. 9300-34800), GP-4200 in National Green Tribunal.	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member (ii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee - Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.Assistant	*12(2011)	Not Applicable	PB-2 Rs. 9300-34800 (GP-4200)	Selection Post	21-30 Years (Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government Note:-the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.	i)LLB/Degree in Law (Regular Course) from a university recognised by the Bar Council of India with minimum 55% marks. ii)Computer Training Course of at least 6 months duration from recognised Institution. iii)Desirable- Preference will be given to candidates possessing a degree with Environmental Studies/Science as one of the subjects; or Having 2 years working experience in the field of environment.	Not Applicable	2 Years for Direct Recruit
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made				If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
10		11				12	13	
100% by direct recruitment failing which by deputation or absorption.		<p>In case of deputation:- Officers possessing a degree in law from recognised university and holding</p> <p>(a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/Courts/Tribunals, or</p> <p>(b) With Six years regular service in PB-1 Rs. 5200-20200(GP-2800)</p> <p>(c) Upper Division Clerk in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with 8 years regular service in the PB-1 of Rs. 5200-20200(GP-2400)</p> <p>Essential-Knowledge in Computer operation.</p>				Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable	

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.Principal Private Secretary	*1(2011)	Not Applicable	PB-3 Rs. 15600-39100 (GP-6600)	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by promotion on the basis of 'merit cum seniority' (written test and interview) of eligible candidates failing which by deputation	In case of deputation:- A. Officers possessing a degree in Law from recognised university and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/Courts/Tribunals, or (b) post in Central Government or State Government or Courts/Tribunals, with Six years regular service in the PB-2; of Rs. 9300-34800(GP-4800) B. Possessing speed of 100 words per minute in short hand (English/Hindi) C. Essential – Working knowledge of Computer operation Desirable- Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution In case of promotion:- Private Secretary in PB-2 (Rs. 9300-34800) GP- Rs. 4800 with at least 6 years regular service in the National Green Tribunal. Essential:- Possessing a degree in Law from a recognised university with minimum 55% marks. ii)Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution.	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal – Chairman ii) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member iii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member iv) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load

22784711-5

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Private Secretary	*21 (2011)	Not Applicable	PB-2 Rs. 9300-34800 (GP-4800)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
i) 50% by deputation  ii) 50% promotion on the basis of 'merit cum seniority' (written test and interview) of eligible candidates failing which by deputation	In case of Deputation:- Officers possessing Bachelor's degree from a recognised University holding - (i) analogous posts on regular basis in Central Governments/Courts/Tribunals, or (ii) post of Court Master/Stenographer Grade 'C' with at least two years regular service in the grade of PB-2; GP-Rs 4600 (Rs. 9300-34800) [pre-revised 6500-200-10500] and possessing a speed of 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in type writing (English) in Central/ State Governments/ Courts/Tribunals.  Essential- Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution. Desirable- Degree in Law  In case of Promotion: (i) From amongst Stenographer Grade 'C'/Tribunal Masters in PB-2(9300-34800), GP-4600 who have rendered two years regular service in the National Green Tribunal. (ii) Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution. Desirable- Degree in Law	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load



Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. PA(Stenographer Grade-C)/Court Master	*21 (2011)	Not Applicable	PB-2 Rs. 9300-34800 (GP-4200)	Selection	21-27 Years (Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) : the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.	Essential-Degree in Law with at least 55% marks from any recognised university. 2) Skill Test Norms: Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 65 mts (Eng.); 75 mts (Hindi) (On manual typewriter); or 50 mts (Eng.); 65 mts (Hindi) (on computer) 3) Computer Training Course of at least 6 months duration from a recognised institution.	No	2 years for Direct Recruit

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
i)50% by direct recruitment ii)50% by promotion on the basis of seniority cum	In case of deputation:- Officers possessing a Bachelor's degree from a recognised university and holding (a) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/Courts/Tribunals, or (b) Stenographer grade 'D' or equivalent Post in Central Government	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load

rejection of unfit 'of eligible candidates failing which by deputation	<p>or State Government or Courts/Tribunals, with Ten years regular service in the PB-1 of Rs. 5200-20200(GP-2400)</p> <p>Essential- Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution. Possessing speed of 80 words per minute in short hand (English/Hindi), Knowledge in Computer operation In case of Promotion From amongst stenographers Grade 'D' in any bench of the National Green Tribunal who have rendered not less than 10 years regular service in the Grade of PB-1; GP-2400 (5200-20200).</p> <p>Essential - Essential- Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution Possessing speed of 80 words per minute in short hand (English/Hindi), Knowledge in Computer operation</p>	<p>ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member</p> <p>iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member</p> <p>iv) Registrar of the Tribunal - Member</p>	
--	---	--	--

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
9. Stenographer Grade-'D'	*12 (2011)	Not Applicable	PB-1; Rs. 5200-20200 (GP-2400)	Selection Post	21-27 Years (Relaxable for Government Servant upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government Note:-the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications	<p><u>Essential:</u></p> <p>1) Graduation from a recognised University with at least 55% marks.</p> <p>2) Skill Test Norms: <u>Dictation:</u> 10 mts @ 80 w.p.m. <u>Transcription:</u> 65 mts (Eng.); 75 mts (Hindi) (On manual typewriter); or 50 mts (Eng.); 65 mts (Hindi) (on computer)</p> <p>3) Computer Training Course of at least 6 months duration from a recognised institution.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years	100% by direct recruitment failing which by deputation.	In case of deputation:- Officers possessing a degree from recognised university and holding i) analogous post on regular basis in Central Government/ State Government/ Courts/Tribunals.  ii) Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Hindi Officer	*1 (2011)	Not Applicable	PB-2; Rs. 9300-34800 (GP-5400)	Non Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by promotion failing which by deputation.	Deputation: (i) Persons holding analogous post on regular basis in Central Governments/State Government/ Courts/Tribunals, or  (ii) Persons holding the posts in PB-2 (Rs. 9300-34800); GP-4800 with 8 years regular service in the respective grade pay in the Central/ State Governments/ Courts/Tribunals. Promotion:- Officers having experience of 8 years of regular service in the post of Hindi Translator working in the PB-2; Rs. 9300-34800 (GP-4200) in National Green Tribunal.	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee - Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Hindi Translator	*5 (2011)	Not Applicable	PB-2; Rs. 9300-34800 (GP-4200)	Selection Post	28-32 Years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. Note: the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.	1) Master's Degree in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at Degree level from a recognised University with minimum 55% marks. 2. Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two year experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government including Government of India undertakings.	Not Applicable	2 years for Direct Recruit

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by direct recruitment failing which by deputation.	Not Applicable	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Accounts Officer	1*(20 11)	Not Applicable	PB-2; Rs. 9300-34800 (GP 5400)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by promotion failing which by deputation	Deputation: (a) Officers possessing Bachelor's degree from a recognized university (i) holding analogous post on regular basis in Central Governments/State Government/ Courts/Tribunals thereto, or (ii) Officers holding the posts in PB-2; Rs. 9300-34800 (GP-4800) with 8 years regular service in the respective grade pay in the Central or State Governments or Courts/Tribunals.  Desirable- (i) A pass in SAS or equivalent examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central / State Government. (ii) Successful completion of training in cash and accounts work in ISTM or equivalent and experience in cash; accounts and budget work.	Group 'B' and Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member iv) Registrar of the Tribunal - Member	Not Applicable

\*Subject to variation depending upon work load

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Accountant	5*(2011)	Not Applicable	PB-1; Rs. 5200-20200 (GP-2400)	Selection Post	21-30 years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with Instructions or orders issued by the Central Government. Note:-the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.	Bachelor of Commerce (B.Com) degree with minimum 55% marks from a recognised University Desirable-CA Intermediate.	Not Applicable	2 years for Direct Recruit

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
100% by Direct Recruitment	In case of deputation:- Officers having Bachelor of Commerce(B.Com) degree from a	Group 'B' and Group 'C'	Not

\*Subject to variation depending upon work load

failing which by deputation.	<p>recognised University and holding;</p> <p>i)(a) analogous posts in Central Government / State Governments / Courts /Tribunals or;</p> <p>(b) post in PB-1 (Rs.5200-20200), Grade Pay 1900 with 8 years service in Central Governments or State Governments or Courts/Tribunals.</p> <p>Essential – Working knowledge of Computer operation</p> <p>Desirable- Computer Training Course of at least 6 months' duration from a recognised institution</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:-</p> <p>i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman</p> <p>ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal -Member</p> <p>iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee -Member</p> <p>iv) Registrar of the Tribunal Member</p>	Applicable
------------------------------	---	---	------------

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT]  
Dr. RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.